भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1438

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के केंद्रीय वित्तपोषण में वृद्धि

1438. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, विशेषकर भंडारा-गोंदिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के वित्तपोषण ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमएवाई-यू में सरकार का योगदान वर्ष 2016 से विशेषकर महाराष्ट्र में, विशेष रूप से भंडारा-गोंदिया जिले में बढ़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विशेषकर भंडारा-गोंदिया जिले की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना अंशदान बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों का निर्माण केंद्रीय सहायता, राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के योगदान से किया जा रहा है। भारत सरकार पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी घटकों के तहत 1.5 लाख रुपये की निश्चित केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हिस्से का योगदान इस प्रकार करने के लिए स्वतंत्र हैं कि आवास किफायती हो सकें। योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना की शुरूआत से महाराष्ट्र राज्य और विशेष रूप से भंडारा-गोंदिया जिले में और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रगति अनुलग्नक में दर्शाई गई है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाए, खरीदे और किराये पर लिए जा सकें। बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, और आईएसएस घटक को आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) जैसी निर्धारित केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आवासों की खरीद/ निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है तथा योजना के अंतर्गत अनिवार्य राज्य अंश का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएवाई-यू 2.0 घटक		
		बीएलसी और एएचपी	एआरएच	आईएसएस
1.	उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली	केंद्र सरकार. - 2.25 लाख रुपये प्रति यूनिट राज्य सरकार - न्यूनतम 0.25 लाख रुपये प्रति यूनिट	प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान भारत सरकार: 3,000/ रुपये वर्गमीटर प्रति इकाई राज्य का हिस्सा:	आवास ऋण सब्सिडी – केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख

	संघ राज्य क्षेत्र)		2,000/ रुपये वर्गमीटर प्रति इकाई	रुपये (वास्तविक रिलीज) तक
2.	सभी विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र सरकार - 2.50 लाख रुपये प्रति यूनिट		
3.	अन्य सभी राज्य	केंद्र सरकार. - 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रुपये प्रति यूनिट		

*****

दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य और भंडारा-गोंदिया जिले में वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	**विवरण**	महाराष्ट्र	भंडारा - गोंदिया जिला
1	योजना की शुरूआत से स्वीकृत आवास (संख्या)	13,64,923	13,499
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	10,89,119	10,901
3	पूर्ण आवास (संख्या)	8,84,004	6,489
4	शुरू से स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	25,548.21	214.50
5	शुरू से जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	19,323.37	143.05
6	पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (2019-25) के दौरान जारी केंद्रीय सहायता	14,861.40	139.32

******